



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128884

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18769 वर्ष 2026

गौरव उर्फ बिल्ला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अवनीश कुमार पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2026 के अनुसार, विपक्षी संख्या- 2 पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील किया जा चुका है। नोटिस की तामीली के बावजूद, विपक्षी संख्या- 2/वर्तमान मामले के सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन थाना चोला, जिला बुलंदशहर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 11 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 115(2), 351(3) बी.एन.एस. एवं धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक पर पीड़ित/बालक, जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष है, के साथ प्रवेशन यौन हमला करने का आरोप है, हालांकि, उसकी चिकित्सीय कानूनी रिपोर्ट प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करती है। जब धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोनिस को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 16812 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 21.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोनिस को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोनिस को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 21.01.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- गौरव उर्फ बिल्ला को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।